राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 414/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
गोपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर, बांसवाडा, बांसवाड़ा , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री धनश्याम व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 10-03-2017 के द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत परिवाद दिनांक 10-03-2017 पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप/ पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने दिनांक 10-03-2017 को परिवाद किया और दिनांक 10-03-2017 को ही परिवाद पर की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई। आवेदन मुख्य सचिव कार्यालय को किया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग को अन्तरित किया गया है। जिसके साथ परिवाद की प्रति प्राप्त नहीं हुई किसके अभाव में सूचना नहीं दी जा सकती है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है कि प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर प्रस्तुत नहीं किया व सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई है। प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी

को विनिश्चय सूचना अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार स्वीकार की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त